न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 29/2022

अनवान :

1. जगदीश पि0मु0 दुदाराम जाति जाट निवासी मालड़ त0 राजगढ़ जिला चूरू।

:– वादी

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी
राजपैरोकार : प्रतिवादी

निर्णय   दिनांक : 19.04.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 172/153 के खसरा सं 236, 271, 275, की 10.711है0 बारानी खातेदारी मे वादी की 809/10711है0 भूमि दिनांक 30.06.1978 को खरीद की हुई है। उस समय वादी अपने प्राकृतिक पिता काशीराम की सकुन्त पर था इसलिये उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम काशीराम दर्ज है। वर्ष 1997 में वादी अपने चाचा दुदाराम के गोद चला गया था। दूदाराम का अविवाहित अवस्था मे ही निधन हो गया जिस पर वादी को इसी वाद भूमि में दुदाराम पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज 1012/10711 हिस्सा भूमि वादी को विरासतन मे प्राप्त हो गई परन्तु वादी के दत्तक पिता दूदाराम के नाम ही उक्त भूमि चली आ रही है इसके अलावा रोही मौजा शेरडा के खसरा स0 272/962 की 3.048है0 बारानी खातेदारी में वादी के दत्तक पिता दुदाराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी की खरीद शुदा भूमि में वादी के पिता का नाम काशीराम की बजाय दुदाराम किया जावें तथा दुदाराम के नाम दर्ज भूमि वादी के नाम दर्ज की जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी ने अपना जवाबदावा पेश किया प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश किये जाने के बाद तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी मे जगदीश पि0मु0 दूदाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2075–78 प्रदर्श 1, गोदनामा प्रदर्श 2, मृत्यु प्रमाण पत्र दूदाराम प्रदर्श 3, बैयनामा प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही शेरडा 2075–78 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि रोही मौजा शेरडा के खसरा स0 236, 271, 275 की 10.711है0 में 809/10711 हिस्सा भूमि वादी की खरीदशुदा है तथा वादभूमि में 1012/10711 हिस्सा भूमि व रोही शेरडा के खसरा सं0 272/962 की 3.048है0 मे वादी

Scanned with CamScanner

को अपने दत्तक पिता दुदाराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा वादी को विरासतन में मिली हुई है। इसलिये रोही मौजा शेरडा के खसरा सं0 236, 271, 275 की 10.711है0 में 809/10711 हिस्सा अर्थात 0.809है0 भूमि का व दुदाराम के नाम दर्ज 1012/10711 हिस्सा अर्थात 1.012 है0 कुल 1.821है0 भूमि का तथा रोही मौजा शेरडा के खसरा सं0 272/962 की 3.048है0 में दुदाराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने वाद भूमि की जमाबंदी, गोदनामा, बैयनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र दूदाराम प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। इस प्रकार वाद वादी स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही शेरड़ा के खाता सं0 172/153 के खसरा सं0 236, 273, 275 की 10.711 है0 बारानी खातेदारी में जगदीश पुत्र काशीराम के नाम दर्ज 809/10711 हिस्सा व दुदाराम पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज 1012/10711 हिस्सा भूमि का वादी जगदीश पि0मु0 दुदाराम को खातेदार काश्तकार घोपित किया जाता है तथा उक्त भूमि मे जगदीश पुत्र काशीराम व दुदाराम पुत्र मामचन्द का नाम कलमजन किया जावें। रोही शेरड़ा के खसरा सं0 272/962 की 3.048है0 में दुदाराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोपित किया जाता है तथा उक्त वाद भूमि में दुदाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीश पि0मु0 दुदाराम को खातेदार काश्तकार घोपित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 29/2022

अनवान :

1. जगदीश पि0मु0 दुदाराम जाति जाट निवासी गालड़ त0 राजगढ़ जिला चुरू।

:- वादी

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही शेरड़ा के खाता सं0 172/153 के खसरा सं0 236, 273, 275 की 10.711 है0 बारानी खातेदारी में जगदीश पुत्र काशीराम के नाम दर्ज 809/10711 हिस्सा व दुदाराम पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज 1012/10711 हिस्सा भूमि का वादी जगदीश पि0मु0 दुदाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि मे जगदीश पुत्र काशीराम व दुदाराम पुत्र मामचन्द का नाम कलमजन किया जावें। रोही शेरडा के खसरा सं0 272/962 की 3.048है0 में दुदाराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त वाद भूमि में दुदाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीश पि0मु0 दुदाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.05.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner